

- iii) उस सदस्य का पूरा डाक पता जिस पर मनीआर्डर/चैक या पत्र व्यवहार
 आवेदन के अनुसार किया जा सके
 Full postal address of the member to which money
 Oder or cheque or correspondance on this application may be sent.
 जो लागू न हो उसे काट दें।
 Delete which in not applicable

ग. शर्तों एवं घोषणा

C. Condition & declaration

(क) मैं निम्नलिखित शर्तों का पालन करने का वचन देता हूँ :-

(a) I undertake to comply with the following condition :-

- (i) जिस प्रयोजन के लिए आवेदन किया है उसी प्रयोजन के लिए अग्रिम राशि उपयोग की जाएगी।
 The amount of advance shall be utilised for the purpose applied for.
- (ii) अपनी/पुत्री/पुत्र/आश्रित बहन की शादी होने के तुरन्त बाद मैं शादी सम्पन्न होने का घोषणा पत्र प्रस्तुत करूंगा और मैं इसे किसी भी दशा में अग्रिम राशि के आहरण की तारीख से 60 दिन की अवधि तक प्रस्तुत कर दूंगा।
 A declaration of marriage performed shall be furnished by me immediately after marriage of self/ daughter-son/dependent sister but in any case not later than sixty days from the date of advance drawn.
- (iii) यदि शादी के लिए स्वीकृत अग्रिम राशि का मैं दुरुपयोग करता हूँ तो उप पैराग्राफ में समविष्ट उपबन्धों के अनुसार अग्रिम की सम्पूर्ण राशि मेरे वेतन से वसूल की जाएगी।
 In cash of misuse of advance granted for the marriage the whole amount of advance shall be recovered from my pay in terms of provisions contained in sub paragraph :-

को. खा. म. नि. योजना को पैराग्राफ 65 ख के तहत
 of paragraph 65 B of the CMPF Scheme.

या आ. प्र. का. मा. म. नि. योजना के पैराग्राफ 43 ख के तहत
 or of paragraph 43 B of A.P. CMPF Scheme.

या राजस्थान को. मा. म. नि. योजना के पैराग्राफ 42 ख के तहत
 or of paragraph 42 B of Rajasthan CMPF Scheme.

या नेवली को. मा. म. नि. योजना के पैराग्राफ 53 ख के तहत
 or of paragraph 53 B of Neyveli CMPF Scheme.

- (iv) मैं वे सभी सूचनाएं दूंगा जिन्हें क्षेत्रीय आयुक्त अपने सन्तोष के लिए अपेक्षित समझते हैं।
 I shall furnish all the information which may be required by the Regional Commissioner for his satisfaction.
- (v) मैं शादी के स्थगन की दशा में यह राशि कोयला खान भविष्य निधि आयुक्त द्वारा यथानिर्धारित व्याज सहित कोयला खान भविष्य निधि संगठन को अपने नियोजक के माध्यम से तत्काल वापस कर दूंगा।
 I shall refund the amount to the Coal Mines Provident Fund Organisation through my employer forthwith with such interest as may be determined by the Coal Mines Provident Fund Commissioner in case of postponement of marriage.

(iv) मैं घोषणा करता हूँ कि
 (b) I declare that

- i) मैंने पहले कभी इस प्रकार की अग्रिम नहीं लिया है।
 I have not drawn such advance previously.
- ii) मेरे द्वारा दिये गए उपर्युक्त विवरण सही है।
 The particulars furnished by me as above are correct.

(घ) संलग्न किए जाने वाले दस्तावेज
 D. Documents to be enclosed

कोयला खान के प्रबन्धक /उप क्षेत्र/क्षेत्रीय प्रबन्धक मुख्यालय या शाखा कार्यालय का प्राधिकृत अधिकारी, किसी भी राजपत्र अधिकारी /विधान सभा सदस्य /संसद सदस्य इत्यादि. से प्राप्त प्रमाण-पत्र, जिसमें प्रारूप के खण्ड एफ में दिखाई गई शादी के लिए अग्रिम लेने की आवश्यकता की सिफारिश की गई है।

A certificate obtained from the colliery Manager/sub. Area/Area Manager/authorised H.Q Office or B.D.O. any Gazetted Officer/M.L.A./M.P. etc./recommending the necessity of advance for marriage appears at part 'F' of the application.

आवेदक के हस्ताक्षर या बांये
 हाथ के अंगुठे का निशान
 Signature/L.T.I. of the applicant

तारीख.....

Date.....